उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या- 30/2016/317//22-4-16-22/99
लखनऊ : दिनांक- 29 मार्च,2016

शुद्धि पत्र

जिला कारागार सोनभद्र एवं बागपत के लिए एक-एक नग बोलेरो एवं एक-एक नग एम्बुलेंस कुल 04 नग वाहनों का क्रय किये जाने की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-22/2016/153/22-4-16-22/99, दिनांक 10.03.2016 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनेत्तर- 800-अन्य व्यय-14-मोटर गाडियों का क्रय" के स्थान पर लेखाशीर्षक- 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनेत्तर- 800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-14-मोटर गाडियों का क्रय" पढ़ा जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12/187/दस/2016, दिनांक 08 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-30/2016 /317(1)/22-4-16-तददिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
(8) वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in